

2024/463

मिनीफ
25.7.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
कैलाशचन्द्र बनाम देवीलाल आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 342 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
18.07.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 22.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p>	
22.7.2024	<p>वकुलार फरिदेन उपखण्ड 9/10 जमुन्दी वही स. 1 ता पने दाखिल अहकाम अफर राजीनामा पेश किया जिसे वाड तस्वीर शामिल फर्दल किया गया। इन्दि प्रजावली वास्ते स्टेट जजकाक आईन्दा तारीफ 25.7.2024 को पेश हो।</p>	<p>कैलाशचन्द्र</p>
25.7.2024	<p>वकुलार फरिदेन उपखण्ड। स्टेट जजकाक पुष्ट उम्मा। वरस सुमीचकी प्रजावली का फवलेकन किया गया। प्रजावली पर उपलब्ध रिपोर्ट आदि व वही प्रजावली के राजीनामा के आधार पर वाद वही इन्दि किया जाता है। पूर्ण विवाण समित सिर्गि इत्तग ले निष्पत्ता अफर शामिल फर्दल किया जखो प्रजावली नम्बर से कम की अफर वाड तस्वीर शामिल अफर दाखिल हुअतर हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	<p>देवीलाल पवनका राजेश सम्पत सिन्धीर 1 ता पनी) पदम्त ए. दिनेश मन्तु मन्त</p>

